फर्द अहकाम(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवान अनिल कुमार बनाम अधिशाषी अभियन्ता आदि

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वाद संख्या 74 /2025

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
...5.2025	आज यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर व व प्रार्थी के शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय का अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी के रिकोर्ड में धारित खातेदारी भूमि प0न0 175/269, 175/270, 174/275, 175/274 में अतिक्रमण न करें एंव बिना पैमाईश करवाये खाले की निश्चित जगह को छोड़कर प्रार्थी की कृषि भूमि में खाला निमार्ण से निषेध रहें। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजि0 डाक से करवाकर रसीदें तीन दिवस में पेश करें। अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वतः ही खारीज समझा जावें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.06.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (सत्यनारायण आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी	
16/6/25	पत्रावली पेशी में की गई PO साहब बाहर पधारे है/अवकाश पर है/ अन्य कार्य में व्यस्त है होने के कारण पत्रावली दिनांक 28/7/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
28/7/25	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी अनुपस्थित, प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित, बार-बार आवाज लगवाई गई, कोई असालतन / वकालतन न्यायालय हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अदम पैरवी / अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	